



दिनांक:- 27.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम के तहत जनपदीय पुलिस ने 'मॉर्निंग वॉक' कर जाना जनपदवासियों का हाल

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव की पहल पर जनपद में संचालित किये जा रहे ***गुड मॉर्निंग महोबा*** कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 26.03.2021 को जनपदीय पुलिस ने 'गुड मॉर्निंग महोबा' कहकर लोगों का अभिवादन किया और क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे बड़े/बुजुर्ग/महिलाएं/बच्चों से बात की व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं सुरक्षा का अहसास कराया गया।

गुड मॉर्निंग महोबा कार्यक्रम के तहत आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जनपदवासियों से संवाद स्थापित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के द्वारा क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है जिससे प्रातःकालीन होने वाले अपराधों में कमी आयी है व लोगों का जनपदीय पुलिस पर विश्वास बढ़ रहा है।

समस्त थानों की गुड मॉर्निंग टीमों द्वारा छात्र/छात्राओं से मॉर्निंग वाक के दौरान उनकी पढ़ाई/परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी वार्ता की गई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा का अहसास कराया गया। इस पहल से जनपदवासियों एवं पुलिसकर्मियों के मध्य संवाद हो रहा है, जिससे महोबा पुलिस की छवि **'मित्र पुलिस'** के रूप में उभर रही है। 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को भी दूर कर रहा है।



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330



दिनांक:- 27.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खरेला पुलिस टीम नें अवैध शराब सहित 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार



दिनांक 26.03.21 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब के विरुद्ध बरामदगी अभियान के तहत प्र०नि० खरेला श्री विजय कुमार सिंह द्वारा

गठित टीम नें अभियुक्त हुकुम सिंह पुत्र घनश्याम नि० ग्राम बारी थाना खरेला जनपद महोबा को बारी पड़ोर मार्ग बहद ग्राम बारी थाना खरेला जनपद महोबा से 30 क्वार्टर देशी शराब ठेका के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 37/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

हुकुम सिंह पुत्र घनश्याम उम्र 45 वर्ष नि० ग्राम बारी थाना खरेला जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 30 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका के बरामद हुए।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण...

- 1.का० सोहित
- 2.का० सुदयवीर



दिनांक:- 27.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 27.03.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 51/2021 धारा 354क/452/506 IPC व 3(1)ध , 3(1)व , 3(2)5क SC/ST ACT से सम्बन्धित वांछित अभि. चन्द्रशेखर पुत्र माखनलाल उर्फ भगवानदास निवासी ग्राम नेकपुरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ.नि. शेरे आलम खां
2. का0 अभिषेक यादव
3. का0 अवनीश सरोज

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण-

1. चन्द्रशेखर पुत्र माखनलाल उर्फ भगवानदास निवासी ग्राम नेकपुरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा ।



दिनांक:- 27.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी



आज दिनांक 27.03.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री विनोद कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्तगण 1.अंशू उर्फ आशीष राजपूत पुत्र नन्द किशोर राजपूत निवासी मसगवां थाना राठ जनपद हमीरपुर 2. विकास राजपूत पुत्र जयदयाल राजपूत 3. प्रीतम राजपूत पुत्र धर्मसिंह निवासी.गण गोहानी थाना मझगवां जनपद हमीरपुर द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने सदस्यों के लिये अपराध करके अनुचित आर्थिक , भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु लूट अमानत में खयानत एवं हत्या का प्रयास तथा विद्यालय आते जाते लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करके अवैध धन अर्जित करते हैं जिनके विरुद्ध मु.अ.सं. 61/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

अपराधियों के नाम जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी –

1. अंशू उर्फ आशीष राजपूत पुत्र नन्द किशोर राजपूत निवासी मसगवां थाना राठ जनपद हमीरपुर।
2. विकास राजपूत पुत्र जयदयाल राजपूत निवासी गोहानी थाना मझगवां जनपद हमीरपुर
3. प्रीतम राजपूत पुत्र धर्मसिंह निवासी गोहानी थाना मझगवां जनपद हमीरपुर



दिनांक:- 27.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी..

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री राजकुमार पाण्डेय के सफल पर्यवेक्षण में जनपद में आगामी होली त्यौहार तथा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत SHO पनवाड़ी श्री विनोद कुमार द्वारा आज दिनांक 27.03.2021 को 05 अभियुक्तगण क्रमशः 1.सुभाष पुत्र दीनदयाल राजपूत 2. रविन्द्र लोधी पुत्र लाखन 3. बृजेन्द्र उर्फ गोलू पुत्र हरीसिंह राजपूत 4. सतीश राजपूत पुत्र ईश्वरदास 5. नदीम हासमी पुत्र हनीफ हासमी, कुल 05 अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी जो एक शातिर किस्म के अपराधी हैं इनके आपराधिक क्रिया कलापों से क्षेत्र की आम जनता भयभीत रहती है। जिस पर उपरोक्त अपराधियों के विरुद्ध 3(1) उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधि. 1970 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

अपराधियों के नाम जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी –

1. सुभाष पुत्र दीनदयाल राजपूत निवासी सलैया खालसा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
2. रविन्द्र लोधी पुत्र लाखन निवासी सलैया खालसा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
3. बृजेन्द्र उर्फ गोलू पुत्र हरीसिंह राजपूत निवासी देवगनपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
4. सतीश राजपूत पुत्र ईश्वरदास निवासी देवगनपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
5. नदीम हासमी पुत्र हनीफ हासमी निवासी काजीपुरा तालाब कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330



दिनांक:- 27.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



खन्ना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया वारन्टी अभियुक्त



आज दिनांक 27.03.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० खन्ना श्री शिव आसरे द्वारा गठित टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त हरिगिरि पुत्र जगवंशी गिरि उम्र 53 वर्ष, नि०ग्राम कहरा थाना खन्ना जनपद महोबा, सम्बन्धित मु०नं० 559/2020 को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

हरिगिरि पुत्र जगवंशी गिरि उम्र 53 वर्ष, नि०ग्राम कहरा थाना खन्ना जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० श्री बाबू सिंह
2. का० विनय प्रताप सिंह



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330